

गाँधी की दृष्टि में नारी

जा० नीता

एसोशिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
नारी शिक्षा निकेतन,
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ /

वो शक्ति हैं, सशक्त हैं
वो भारत की नारी हैं
न ज्यादा में, न कम में
वो सबमें बराबर की अधिकारी हैं।

भारत की संस्कृति महिला—पुरुष समानता पर बल देती हैं। स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया हैं, परन्तु सदियों से पितृसत्तात्मक सामन्तवादी सामाजिक ढाँचे में स्त्रियाँ धर्म, मान्यताओं, परम्पराओं और रुद्धियों के नाम पर उत्पीड़न और शोषण का शिकार रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पुरुष वर्ग ने योजनाबद्ध तरीके से स्त्रियों को पीछे रखने का षड़यंत्र किया हैं—

“सात वचन
सात फेरे
और सात जन्म का साथ”।

सामन्ती प्रभावों से परिपूर्ण तत्कालीन समाज में नारी भी भेदभाव एवं अन्याय का शिकार थी। महिलाओं के प्रति व्यक्ति एवं समाज का व्यवहार मध्यकालीन सोच से प्रेरित था। सती प्रथा जैसी कुरीति के उन्मूलन की दिशा में कुछ ठोस सामाजिक प्रगति तो हुई थी, लेकिन महिलायें बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल वैधव्य जैसी त्रासदीपूर्ण कुरीतियों से आक्रान्त जीवन के लिए मजबूर थीं। गाँधीवादी चिन्तन में इन बुराईयों पर प्रहार के साफ स्वर सुनायी देते

हैं। गाँधी चिन्तन में स्त्री एवं पुरुष को समान स्तर प्रदान किया गया हैं।¹

आरम्भ में गाँधी स्त्री—जाति के सम्बन्ध में नवजागरण द्वारा उभारे जा रहे सवालों से अपरिचित से थे और उन सभी मान्यताओं के पक्षधर थे जिसे वर्षों से पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को दोयम दर्जा देने के लिए चला रखा था। पत्नी के रूप में स्त्री का काम केवल पति की इच्छाओं, आदेशों का पालन करना हैं, इसी सोच के गाँधी काफी दिनों तक अनुगामी रहे। यह बोध तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हुआ कि पत्नी के साथ उनका व्यवहार मनुष्योचित नहीं, समतापरक नहीं और फिर तब उनकी सोच में ऐसा निर्णायक मोड़ आया कि वे दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारतवर्ष तक स्त्री—पुरुष समता के ऐसे प्रचारक बनकर उभारे जिसने देश के पश्चिमी एवं पूरबी हिस्सों में पृथक—पृथक रूप से उभारे स्त्री—जागरण को राष्ट्रीय जागरण की धारा में पिरो दिया।² स्त्रियों की जड़ारु क्षमता एवं सहनशीलता की ओर गाँधी जी का सर्वप्रथम ध्यान दक्षिण अफ्रीका में गया। गाँधी जी ने कहा हैं कि—दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आन्दोलन में स्त्रियों की सहभागिता ने उन्हें महिलाओं के आत्म बलिदानी एवं कष्ट सहन करने की असाधारण क्षमताओं का अहसास कराया।³

सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारत में स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक आंदोलन उन्नीसवीं सदी के अन्त से ही शुरू हो गया था। गाँधी के

पदार्पण से पहले महिलाओं के प्रति समाज सुधारकों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण होने के साथ-साथ संरक्षणात्मक था। लेकिन गाँधी के पदार्पण के साथ महिलाओं के विषय में एक विशेष नज़रिये की शुरुआत हुई। उनके अनुसार स्त्री न तो पुरुष के भोगने की वस्तु है और न ही पुरुष की प्रतियोगी। गाँधी के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि गाँधी एक नारीवादी विचारक थे⁴

भारतवर्ष में स्त्री-मुकित की लड़ाई लड़ने या स्त्री-पुरुष समता का देशव्यापी जागरण लाने में महात्मा गाँधी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। गाँधी जी ने सदियों से दलित दमित रही स्त्री जाति के उद्धार मुकित के लिए अपने जीवनकाल में जो कुछ किया वह केवल आधुनिक भारत के इतिहास में नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में अद्भुत है⁵

महिलाओं के लिए गाँधी के हृदय में अत्यंत गहरी सहानुभूति और आदर का भाव था। यही कारण है कि जिस ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया था, उसी देश की महिलाओं के साहस और निडरता की उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की। जब ब्रिटेन की महिलाओं ने वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया तो गाँधी जी ने खुलकर उनके संघर्ष का समर्थन किया और 23 फरवरी 1907 के 'इंडियन ओपीनियन' अखबार में लिखा: "क्या भारतीय पुरुष कायर बने रहेंगे या अंग्रेज महिलाओं द्वारा दिखाए गए पौरुष का अनुसरण करेंगे और जारेंगे?"

समूचे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक महिलाओं को न केवल स्वतंत्रता संघर्ष में कूदने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें नेतृत्व करने का भी अवसर दिया। स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपालानी, सुशीला नैयर, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गाँधी तथा कई अन्य

महिला नेताओं ने कांग्रेस को सशक्त बनने में योगदान दिया।⁶

गाँधी जी ने स्त्रियों को स्त्रियों के उद्धार कार्य में प्रवृत्त करने का नैतिक माहौल बनाया, जो इस देश के इतिहास में कदाचित पहला प्रयास था।⁷ गाँधी जी हमारे समाज में स्त्रियों को पराधीन, निर्बल पीड़ित, शोषित, पतित आदि बनाने वाली जितनी परिस्थितियाँ, प्रथाएँ, रीतियाँ, मान्यताएँ थीं, उन सबको न सिर्फ शब्दों के जरिये बल्कि आचरण एवं ठोस विकल्प प्रस्तुत करके विस्थापित करते हुए सभी वर्ग की महिलाओं के लिए नवजीवन का मार्ग दिखाया। पूरे देश में महिलाओं के सम्बन्ध में पुरुषों की सोच में बदलाव लाने का जागरण-अभियान चलाया। उन्होंने अपने जीवन में स्त्री और पुरुष को हमेशा एक दूसरे के समकक्ष एवं पूरक के रूप में देखा। यही नहीं शक्ति, साहस एवं धैर्य की दृष्टि से तो वे महिलाओं की तुलना में अधिक महत्व देते थे।⁸

महात्मा गाँधी मानते थे कि महिलाओं में चारित्रिक एवं नैतिक शक्ति पुरुष से अधिक होती है। अतः वह अधिक आत्मबल का परिचय दें सकती हैं। उनमें त्याग, प्रेम एवं अहिंसा की शक्ति भी अधिक होती हैं।⁹ गाँधी ने स्त्री को पुरुष से निम्न नहीं बल्कि उच्चतर गुणों से युक्त तथा अधिक नैतिकता से युक्त माना है। स्त्री और पुरुष दोनों को परिवार तथा समाज में समान महत्व तथा पहचान मिलनी चाहिए जिससे समाज संतुलित बना रहे।¹⁰ महिला पुरुष की साथी हैं जिसे ईश्वर ने एक समान मानसिक वृत्ति दी हैं। उसे भी पुरुष की तरह हर कार्य में हिस्सा लेने का अधिकार है। भारतीय समाज में पुत्रों को प्राथमिकता देने की प्रथा और कन्या शिशु की भ्रून हत्या गाँधी को बहुत कष्ट पहुँचाती थीं। उनके अनुसार, पारिवारिक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का एक समान हक होना चाहिए।¹¹ उनका विचार था कि "पुत्री जन्म पर होने वाले शोक का कारण मुझे समझ में नहीं आता। दोनों

ईश्वर की देन हैं, उन्हें जीने का समान अधिकार है और इस संसार को चलाने के लिए दोनों समान रूप से आवश्यक हैं।¹²

गाँधी जी कहते हैं कि कानून में स्त्री और पुरुष के बीच किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। हमें लड़के और लड़कियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब तक भारत की सुशिक्षित स्त्रियाँ इस व्याधि के मूल कारणों को मिटाने के लिये प्रयत्न नहीं करती तब तक हल मुश्किल ही हैं जो स्त्री अपने कर्तव्यों का ज्ञान रखती हैं और उसका पालन करती हैं, वह अपनी गौरवमयी अवस्था को भली-भाँति समझती हैं।¹³

गाँधी मन, वचन और कर्म से महिला-पुरुष समानता के प्रबल समर्थक थे। गाँधी जी की मान्यता थी कि भावों की उदात्तता में पुरुष वर्ग महिलाओं के सामने नहीं टिक सकता। गाँधी जी की इस मान्यता की पुष्टि उनके निम्नलिखित उद्घरणों से होती है—

1. यदि शक्ति का अभिप्राय नैतिक शक्ति से हैं तो महिला निश्चित रूप से पुरुष से कहीं ऊँची हैं।
2. दिल को छूने में महिलाओं से आगे कौन हो सकता है।
3. यदि अहिंसा हमारा नियम हैं तो भविष्य महिलाओं के पक्ष में है।¹⁴

गाँधी जी के अनुसार प्रकृति ने नर-नारी की रचना एक ही तत्व से की हैं, इसलिये जो एक के लिये सम्भव हैं। दूसरे के लिए असम्भव कैसे हो सकता है,¹⁵ नर और नारी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और दोनों अपने-अपने व्यक्तित्व का विकास करने को जन्म लेते हैं। गाँधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये भारतीय नारियों को जिन गुणों के कारण उन्हें आवश्यक रूप से आन्दोलन का भागीदार बनाया वह है,

अहिंसा। गाँधी जी ने लिखा है कि स्त्री अहिंसा का अवतार हैं, अनन्त प्रेम और अनन्त प्रेम का अर्थ होता हैं, कष्ट उठाने की असीम, क्षमता, स्त्री को छोड़कर जो पुरुष की माता हैं, इस प्रकार की क्षमता इतनी मात्रा में और कौन दिखाता हैं। स्त्री नौ महीने तक बच्चे को पेट में रखकर प्रसव पीड़ा सहन कर बच्चे को जन्म देती है, बाद में उसे बड़ा करने में कितनी खुशी का अनुभव करती हैं ऐसा कौन कर सकता है।¹⁶

महिलाओं के प्रति गाँधी जी के सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सुदृढ़ और सहदय मानते थे। वे नारी को अबला कहने के भी सख्त खिलाफ थे। उनकी यह धारणा उनके आचरण, लेखों तथा व्याख्यानों में अनेक बार प्रकट हुई। इस संदर्भ में महात्मा गाँधी का यह उद्धरण दृष्टव्य है: “उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आंतरिक शक्ति को दुक्तारना है। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें उनकी वरीता की कई मिसालें मिलेंगी। यदि महिलाएँ देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर ले तो कुछ ही महीनों में वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं।”¹⁷

महिलाओं को अपनी अन्तः शक्ति को पहचानना और जाग्रत करना होगा। गाँधी मानते थे कि महिलाओं को अपने उत्थान के लिए स्वयं तैयार होना पड़ेगा। गाँधी के अनुसार उनका विश्वास है कि एक निर्भय आत्म-विश्वास युक्त महिला, जो यह जानती हैं कि उसकी पवित्रता उसका श्रेष्ठ बल है, कभी असम्मानित नहीं हो सकती।¹⁸

गाँधी ने स्त्री के आत्मबलिदानी स्वभाव को हिंदू संस्कारों से इतर माँ के रूप में भारतीय स्त्रीत्व के विशेष गुणों को परिभाषित किया। गाँधी की दृष्टि में स्त्रियों द्वारा शांति और अहिंसा के

प्रसार के लिए उनकी गर्भधारण एवं मातृत्व का अनुभव ही विशेष योग्यता है। अगर वे प्रसव की वेदन सह सकती हैं तो वे कुछ भी सह सकती हैं, कोई भी कष्ट उठा सकती हैं।¹⁹ महिलाओं की इस आंतरिक शक्ति को गाँधी जी सत्याग्रह जैसे अहिंसक हथियार के लिए सर्वथा उपर्युक्त मानते थे। गाँधी जी कहा करते थे कि अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चल रही महिलाएँ सहज रूप से बड़ी से बड़ी बाधा का सामना कर सकती हैं। सत्याग्रह ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज एवं देश की सेवा करने का अवसर दिया है।²⁰

महात्मा गाँधी सत्य व अहिंसा की नींव पर निर्मित एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें न्याय, समानता एवं शांति सुनिश्चित हो। इस उद्देश्य हेतु यह आवश्यक था कि समाज के दो मूलभूत अंगों—स्त्री व पुरुष के बीच समानता के सभी तत्व निश्चित व निर्धारित हो।²¹

गाँधी स्त्री शक्ति के प्रति पूर्णतः आश्वस्त थे तथा इस बात से भली—भाँति परिचित थे कि समाज की पुनर्संरचना में इस शक्ति का सकारात्मक प्रयोग ही अभीष्ट की प्राप्ति करवायेगा। इसलिए गाँधी उन सभी सामाजिक बुराईयों का विरोध करते हैं, जिसके कारण स्त्रियों की स्वतंत्रता क्षीण होती हैं तथा उन पर रुढ़िगत बंधन दृढ़ होते हैं।²²

महात्मा गाँधी चाहते थे कि महिलाएँ आर्थिक तथा दैहिक शोषण के साथ—साथ सदियों से चली आ रही सोच से उपजी मानसिक गुलामी से भी मुक्ति पाने की चेष्टा करें। 20 जनवरी, 1918 को मुंबई में 'भगिनी समाज' की बैठक को संबोधित करते हुए गाँधी जी ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी महिला को अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए। इसी तरह 8 मई, 1919 को मुंबई में ही महिलाओं की एक सभा में गाँधी जी ने कहा :

"यह आवश्यक है कि महिलाएँ देश में हो रहे विकास में अपना योगदान करें।"

29 जून, 1919 अहमदाबाद में 'वनिता आश्रम' की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा : 'मैं 1915 से देश के विभिन्न भागों की अपनी यात्राओं के दौरान कहता आया हूँ कि जब तक महिलाएँ पुरुषों के बराबर खड़ी नहीं होगी और अपना अधिकार नहीं जातएंगी तब तक वे अपनी पहचान नहीं बना पाएंगी।'²³

गाँधी ने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र तथा विश्व के कल्याण की दृष्टि से स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी का समर्थन किया। गाँधी ने उन सभी प्रथाओं का विरोध किया जो स्त्री की गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं। गाँधी चाहते थे कि स्त्रियाँ स्वयं को अबला कहना छोड़ दें और अपने सम्मुख सीता, मैत्रेयी, अनुसुइया तथा दमयन्ती जैसी उदात्त सतियों के आदर्श रखें।

गाँधी ने कहा कि 'पुरुषों के समान स्त्रियों को स्वराज्य प्राप्ति के प्रयत्न में भाग लेना होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि भारत की महिलाएँ इस चुनौती को स्वीकार कर अपने को संगठित करेंगी।'²⁴ उनका विचार था कि स्वराज्य विजय में भारत की स्त्रियों का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना पुरुष का।²⁵ स्त्री को पुरुष के समान समानता, स्वाधीनता और स्वतंत्रता पाने का अधिकार है।²⁶

गाँधी के खादी आन्दोलन का एक उद्देश्य स्वदेशी की भावना को उजागर करना और दूसरा उद्देश्य देश की गरीब जनता, विशेषकर महिलाओं को जो कि सामाजिक बंधनों के कारण घर से बाहर जाकर काम धंधे नहीं कर पाती थीं, घर पर चरखा या तकली चलाकर कुछ धन अर्जित करने का साधन उपलब्ध कराना था। खादी उद्योग के माध्यम से गाँवों, कस्बों व शहरों की लाखों निर्धन महिलाओं, को देशभक्ति की अनुभूति के साथ—साथ रोजगार भी मिला और उनके जीवन में खुशहाली आई।²⁷

स्त्री की गुलामी और शोषण के खिलाफ उन्होंने कई व्यवहारिक कदम अपनाये। स्त्री शिक्षा और स्त्रियों में स्वावलम्बन का बोध जगाने में गाँधी जी ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया। स्वदेशी आन्दोलन के सन्दर्भ में गाँधी जी का यह विचार था कि स्त्रियों की स्वरोजगार योजनाओं के तहत उन्होंने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अछूतोद्धार और शराबबंदी जैसे सुधार कार्यों की सफलता स्त्रियों की व्यापक भागीदारी के कारण ही संभव हो सकी। कमला देवी के अनुसार—गाँधी जी ने महिलाओं को मुक्ति की राह दिखाई। पहली बार स्त्री को अपनी व्यक्तिगत सत्ता का आभास हुआ। जीवन के उद्देश्य की राह दिखाई दी, समाज में रुढ़िवादी बन्धनों से मुक्ति के प्रति जागरूक किया।²⁸ उन्होंने महिलाओं को एक नई दिशा दिखाई जो अन्धकार से उजाले की ओर ले जाती है। गाँधी ऐसे समाज के हिमायती थे जो शोषणमुक्त हो और जहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ससमानता हो। ऐसे समाज का आधार प्रेम, सहयोग, और सहानुभूति जैसे मूल्य होंगे और ये सभी मूल्य महिलाओं में अपार मात्रा में उपस्थित है। ऐसा समाज महिलाओं के अनुकूल होगा और उन्हें अपना उचित स्थान ऐसे ही समाज में मिलेगा।²⁹

गाँधी का मानना था कि स्त्री शक्ति तभी फलीभूत होगी जब समाजगत रीति-रिवाजों के साथ-साथ समाज के वैधानिक नियमों व कानूनों में भी परिवर्तन लाए जाए।³⁰ गाँधी स्वीकार करते थे कि हिन्दू संस्कृति ने स्त्री को अत्यधिक बंधन में डालकर और उसे पति के सर्वथा आधीन रख कर बड़ी भारी भूल की है। इसके कारण पति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और पशुवत्व व्यवहार करने पर उतारू हो जाता है। इस तरह के अत्याचार का उपाय कानून का आश्रय लेने में नहीं, बल्कि विवाहित स्त्रियों को सच्चे अर्थ में सुशिक्षित बनाने और पतियों के

अमानुषिक अत्याचार के विरुद्ध लोकमत जाग्रत करने में हैं।³¹ यह काम शिक्षित वर्ग के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर शिक्षित वर्ग की मनोवृत्ति में परिवर्तन होना जरूरी है।³²

महात्मा गाँधी स्त्रियों के सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत वित्तित थे। वे मानते थे कि बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और विधवा-विवाह-निषेध जैसी कुरीतियों के कारण ही महिलाएँ उन्नति नहीं कर पाती और शोषण, अन्याय तथा अत्याचार झेलने को विवश होती है।³³

गाँधी जी ने पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं के पारिवारिक उत्तरदायित्व को भी महत्व दिया क्योंकि वह मानते थे कि स्त्रियाँ पूरे परिवार की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होती हैं। गाँधी ने स्त्री शिक्षा के साथ ही स्त्री मताधिकार, स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता एवं समता के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, दहेज निषेध आदि का समर्थन किया। वह महिलाओं की घरेलू दासता की स्थिति को समाज की बर्बर स्थिति का परिचायक मानते थे।³⁴

हिन्दू समाज में विधवाओं की दुर्दशा से वे बहुत दुःखी थे। वे कहा करते थे कि छोटी-छोटी बच्चियों पर वैधव्य थोपना एक जघन्य अपराध है। गाँधी जी महिला संगठनों तथा समाज-सुधार में लगे पुरुष कार्यकर्ताओं से कहा करते थे कि वे समाज में विधवा-विवाह विशेषकर बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास करें। 21 फरवरी, 1926 को 'नवजीवन' अखबार में एक विधवा से प्राप्त पत्र की चर्चा करते हुए गाँधी जी ने विधवा-विवाह के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा—“अपने अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कोई बाल-विधवा बड़ी होकर यदि फिर से शादी करना चाहे तो उसे इसकी पूरी आजादी होनी चाहिए। न केवल उसे पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया

जाए, बल्कि उसके माँ-बाप को चाहिए कि वे उसका सही ढंग से पुनर्विवाह करें।’³⁵

महात्मा गांधी स्त्री-शिक्षा के पक्षधर थे। गांधी ने स्त्रियों में चेतना और आत्म विश्वास जाग्रत करने की दृष्टि से शिक्षा के महत्व पर आग्रह किया। गांधी का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करके स्त्रियाँ अपने प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त करने, उनकी रक्षा करने तथा उनमें सुधार करनेमें समर्थ हो सकें।³⁶ शिक्षा स्त्रियों के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी पुरुषों के लिये हैं। उनका कहना था कि यह जरूरी नहीं हैं कि दोनों की शिक्षा प्रणाली समान हो। स्त्री और पुरुष का दर्जा बराबर हैं, पर दोनों एक समान नहीं हैं। दोनों की एक सुन्दर जोड़ी हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, अतः एक के बिना दूसरे की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक शिक्षा का क्रम इन मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर न होगा, पुरुष और स्त्री का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।³⁷ गांधी ने शिक्षा को स्त्रियों और गृहदायित्वों के प्रति परम्परागत व्यवहार को परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। गांधी ने कहा कि बच्चों को माता द्वारा यह संस्कार बचपन से दिया जाना चाहिए कि घरेलू कार्य लड़के और लड़कियों दोनों के हित में हैं तथा इनसे उनके शरीर एवं मस्तिष्क का विकास होता हैं और साथ ही ये चरित्र-निर्माण में सहायक हैं। गांधी के अनुसार ‘स्त्रियों और पुरुषों को ग्रह कार्यों में समान रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि घर का सम्बन्ध दोनों (स्त्री-पुरुष) से हैं।’³⁸

गांधी ने बाल-विवाह पर भी अपनी आपत्ति अनेक बार प्रकट की। 14 अक्टूबर, 1926 को ‘यंग इंडिया’ समाचार-पत्र में गांधी जी ने बंगाल में 60 साल के एक व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से शादी करने की घटना का उल्लेख करते हुए समाज के कर्णधारों से कहा कि वे बाल-बधुओं और बाल-विधवाओं को

अमानवीय कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक नियमों को बदलें।³⁹

देवदासी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति पर गांधी के मन में घोर पीड़ा थीं। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि – “यह बड़े दुःख और अपमान की बात है कि मनुष्य की वासना की तृप्ति के लिये स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचनी पड़े। पुरुष ने स्त्रियों का जो अपमान किया हैं, उसके लिये उसे कठिन दण्ड भोगना पड़ेगा।”⁴⁰ वेश्यावृत्ति के निदान हेतु गांधी की राय थी कि – “जब तक स्त्रियों में से असाधारण चरित्रवाली बहनें उत्पन्न होकर इन पतित बहनों के उद्धार का कार्य अपने हाथ में नहीं लेंगी। वेश्यावृत्ति की समस्या हल नहीं हो सकती।”⁴¹ गांधी नारी को उसकी वास्तविक भूमिका के प्रति सचेत करते हैं। नारी में जिस प्रकार बुरा करने की, लोक का नाश करने की शक्ति हैं, उसी प्रकार भला करने की, लोकहित साधन करने की शक्ति उसमें सोई पड़ी है। यदि वह यह विचार छोड़ दे कि वह पुरुष की गुड़ियाँ नहीं हैं तो वह खुद अपना और पुरुष का जन्म सुधार सकती है और दोनों के लिए ही इस संसार को अधिक सुखमय बना सकती है।⁴²

गांधी जी ने यह भी लिखा था कि – “मुझे यह मंजूर है कि पुरुष जाति का नाश हो जाए, मगर यह मंजूर नहीं कि ईश्वर की परिवत्रतम सृष्टि को अपनी वासना का शिकार बना कर हम पशुओं से भी बदतर बन जायें।”⁴³

समाज में व्याप्त दहेज प्रथा का निर्मलन करने की जरूरत उन्होंने महसूस की थी। विवाह जैसे पवित्र संस्कार को सौदा बनाने के पक्ष में वे नहीं थे। उन्होंने 23.05.1936 को हरिजन में लिखा –

“कोई भी ऐसा युवक, जो दहेज को विवाह की शर्त बनाता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी जाति का अपमान करता है।”⁴⁴

गाँधी ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्रियों की मानसिक दासता से मुक्ति को आवश्यक माना। इस मानसिक दासता के कारण स्त्रियाँ निर्भर, पराधीन, असहाय तथा स्वयं को कमजोर मानती हैं। गाँधी ने कहा “स्त्रियों को उनकी मानसिक दासता से मुक्ति दिलवाने के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों को ‘नहीं’ कहना सिखाने वाली शिक्षा देनी होगी, चाहे यह उसे पति से ही क्यों न कहना हो। मानसिक दासता से मुक्ति दिलाने हेतु उसे शरीर की पवित्रता तथा उसके आत्मिक गुणों का ज्ञान करवाना होगा ताकि वह राष्ट्र की सेवा कर सकें तथा मानवता की सेवा की गरिमा का ज्ञान प्राप्त कर सकें।”⁴⁵

इस प्रकार गाँधी ने भारतीय नारी पर चिंतन करते हुए उसके जीवन के सभी पहलुओं पर दृष्टि डाली। गाँधी विन्तन में स्त्री विमर्श की सर्वोच्च विशेषता यह है कि यह सामाजिक सौहार्द एवं राजनीतिक विकास में मात्र स्त्री-अधिकारों की चर्चा ही नहीं अपितु सभी स्तरों पर उन गुणों की भी विस्तार से व्याख्या करता है, जिसके आधार पर स्त्रियों की एक अलग पहचान व व्यक्तित्व विकसित होता है। गाँधी यह कहा करते थे कि स्त्रियों का एक अलग ही व्यक्तित्व है एवं इस व्यक्तित्व की अपनी अलग गरिमा है। समाज के उत्थान में यदि इस गरिमा को स्थान नहीं मिला तो किसी भी प्रकार का विकास मात्र आंशिक ही होगा।⁴⁶

गाँधी जी ने सदियों से बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, जिस्मफरोशी, निरक्षरता, पराधीनता इत्यादि के जुए तले दबी-कुचली स्त्रियों का जैसा व्यापक सशक्त अभियान चलाया, वैसा न सिर्फ भारतीय इतिहास में बल्कि मानव-इतिहास में अद्वितीय है।⁴⁷ स्त्री की दबी-छिपी प्रतिभा को उभारने तथा उसकी क्षमता का उससे स्वयं से परिचय करवाने में गाँधी का योगदान बहुमूल्य तथा अविस्मरणीय है। आज भारतीय नारी में जिस अभूतपूर्व जाग्रति

के दर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में राजनीति में भाग लेती हैं और उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ती दिखायी दे रही है। उसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गाँधी को प्राप्त है। उन्होंने स्त्रियों में जो चेतना जाग्रत की, जो सम्मान और प्रोत्साहन दिया उससे वे हमेश प्रगति पथ की ओर अग्रसर हो रही हैं।⁴⁸

सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने का उनका अपना अलग तरीका था। गाँधी विन्तन मनुष्य की अस्मिता, गौरव और स्वतंत्रता पर केन्द्रित है। स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि, “किसी भी राष्ट्र की प्रगति का थर्मामीटर महिलाएँ हैं। भारतीय नारी संसार की अन्य किसी भी नारी की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है।”⁴⁹ 1921 में गाँधी जी ने कहा—“पुरुषों की नज़रों में महिलाएँ कमजोर नहीं हैं, वरन् दोनों लिंगों में ‘ज्यादा’ श्रेष्ठ इसलिए है। कि आज भी वे त्याग, खामोश, पीड़ा, नम्रता, विश्वास और ज्ञान की साक्षात प्रतिमा हैं।”⁵⁰

गाँधी जी के व्यक्तित्व-निर्माण में जिन महिलाओं ने योगदान दिया, उनमें उनकी दासी रंभा, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा का विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है। गाँधी अपने जीवन में इतना अधिक कार्य कर पाये, इसका बहुत कुछ श्रेय कस्तूरबा को है।⁵¹ गाँधी जी के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए कृपलानी जी ने कहा—“आधुनिक काल में स्त्रियों के उद्धार का जितना काम गाँधी जी ने किया उतना अन्य किसी ने नहीं किया।”⁵²

हरिजन, यंग इण्डिया, नवजीवन में लिखे अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से गाँधी ने महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और उन्हें दूर किये जाने पर जोर दिया। गाँधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास

किए थे, उनका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का राज्य की मदद और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे के बिना करोड़ों शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं तक पहुँचना और उन्हें एकत्रित करना सरल कार्य नहीं था। गांधी ने इस कार्य को सम्भव कर दिखाया और भारत में महिलाओं को एक नई दिशा दिखाई। हमें उसी दिशा में चलकर, उनका अनुसरण करते हुए, बदलते समय में उनके विचारों को नए प्रकाश में देखना और समझना होगा।⁵³

“एक जिद एक साहस है कि।

ऊँची उड़ान भर लूँगी मैं॥

होगा मुझ पर सबको नाज़।

जब उन्नति के पथ पर चलूँगी मैं॥

अपने अस्तित्व को बिना मिटाए।

चुनौतियों से भी लड़ लूँगी मैं॥

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सतीश कुमार, गांधीवाद विविध आयाम, प्रथम संस्करण 2006, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ-86
2. आत्मकथा (सत्य के प्रयोग), महात्मा गांधी, पृष्ठ-319-20
3. गांधी एम०के०, “वीमेन एण्ड सोशल इनजस्टिस नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1954, पृष्ठ-26
4. हरिजन, 1 जनवरी 25, 1936, पृष्ठ-157
5. नया ज्ञानोदय (मासिक पत्रिका) अंक-नवम्बर, 2006, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली।
6. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण-प्रथम, 2006, पृष्ठ-105
7. खण्ड-21, पृष्ठ-93
8. ले०जे०बी० कृपलानी, महात्मा गांधी-जीवन और चिंतन, पृष्ठ-429
9. यंग इण्डिया, अक्टूबर 17, 1929
10. सम्पूर्ण गांधी वाड़मय, भाग-3, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1961-1980, पृष्ठ-226
11. नवजीवन, 13 जुलाई, 1924, पृष्ठ-381
12. कृपलानी सुचेता, ‘नारियों के नता और शिक्षक’, एस० राधाकृष्णन (सम्पादित), महात्मा गांधी 100 वर्ष, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन, वाराणसी, 1969, पृष्ठ-227
13. हरिजन, 24.02.1940
14. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण-प्रथम, 2006, पृष्ठ-107
15. हिन्दी नवजीवन, 12 सितम्बर, 1929
16. हरिजन, 24.02.1940
17. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण-प्रथम, 2006, पृष्ठ-105
18. हरिजन, मार्च 1, 1942
19. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ-174

20. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण—प्रथम, 2006, पृष्ठ—105
- a. Jolly S.K., 'Gandhi and Women', S.K. Jolly (ed.) *Reading Gandhi*, New Delhi, Concept Publishing company, 2006, p. 233
21. हरिजन, 27.02.1937
22. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण—प्रथम, 2006, पृष्ठ—106
23. गाँधी, एम०के०, वीमेन एण्ड सोशल इन जस्टिस, पृष्ठ—162—163
24. गाँधी, मोहनदास करमचन्द, सम्पूर्ण गाँधी वाड्मय खण्ड—21, पृष्ठ—30
25. स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गाँधी, 20.02.1910
26. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण—प्रथम, 2006, पृष्ठ—106
27. डा० एन० राधाकृष्णन, महात्मा गाँधी और सामाजिक न्याय, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ—119
28. मधु झा, लेख गाँधी: नारी विषयक दृष्टिकोण, गाँधी अध्ययन, दूसरा संस्करण—2010, संपादन मनोज सिन्हा, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, पृष्ठ—131
29. गाँधी एम०के०, मेरे सपनों का भारत, (संक्षिप्त) राजघाट, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, 1983, पृष्ठ—122
30. हिन्दी नवजीवन, 07.01.1929
31. हरिजन, 12.10.1934
32. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण—प्रथम, 2006, पृष्ठ—106
33. हरिजन, जून 8, 1940
34. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण—प्रथम, 2006, पृष्ठ—106—107
35. हरिजन, 27.02.1937
36. हरिजन, 24.02.1940
37. जेटली जया, "पोजिशन ऑफ वुमेन: गाँधी एण्ड इण्डिया टुडे" सुमन के० अग्रवाल, (सं०) गाँधीयन विजन, बी०आ० पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ—333
38. सुभाष सेतिया, स्त्री अस्मिता के प्रश्न, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, संस्करण—प्रथम, 2006, पृष्ठ—107
39. यंग इण्डिया, 16 अप्रैल, 1925
40. हिन्दी नवजीवन, 28, 1925
41. एम० महाराजन, महात्मा गाँधी एण्ड न्यू मिलेनियम, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ—83
42. यंग इण्डिया, 21 जुलाई, 1921

43. मेरे सपनों का भारत, पृष्ठ—240
44. एम० महाराजन, महात्मा गांधी एण्ड न्यू मिलेनियम, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ—83
45. गांधी मोहनदास कर्मचन्द, स्ट्रियॉ और उनकी समस्याएँ, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 1995, पृष्ठ—4
46. भगवान सिंह, गांधी और दलित भारत जागरण, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ—159
47. पटेल सुजाता, “कन्स्ट्रक्शन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वीमेन इन गांधी”, इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, 20 फरवरी, 1988, पृष्ठ—386
48. वही, पृष्ठ—386
49. नारीवादी राजनीति: संघर्ष एवं मुद्दे, संपादक—साधना आर्य निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, हिन्दी माध्यम कार्याच्चय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण, 2001, पृष्ठ—170
50. गांधी मोहनदास कर्मचन्द, स्ट्रियॉ और उनकी समस्याएँ, नवजीवन प्रकाशन मंदिन, 1995, पृष्ठ—4
51. महात्मा गांधी—जीवन व चिन्तन, पृष्ठ—430
52. गांधी अध्ययन, संपादन—मनोज सिन्हा, दूसरा संस्करण—2010, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, पृष्ठ—131